(372)

संख्याः 2660 / VII-II-11 / 69–उद्योग / 2006

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 27 दिसम्बर, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान हेतु अवचनबद्ध मदों में अवशेष धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः209/ XXVII (1)/2011 दिनांकः 31 मार्च, 2011 तथा शासनादेश संख्याः911/ VII-II-11/69–उद्योग / 2006 दिनांकः 21 अप्रैल, 2011 एवं शासनादेश संख्याः2357/ VII-II-11/69–उद्योग / 2006 दिनांकः 19 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में उद्योग निदेशालय के **अधिष्ठान व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों की अवशेष धनराशि कुल ₹ 2252 हजार (₹ बाईस लाख बावन हजार मात्र)** की धनराशि निम्न विवरणानुसार / प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

03–अधिष्ठान व्यय :–

कोड / मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (₹ हजार में)
04–यात्रा व्यय	250
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	263
07–मानदेय	57
08–कार्यालय व्यय	200
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	203
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	225
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	110
18–प्रकाशन	75
19–विज्ञापन विक्री और विख्यापन व्यय	60
21–छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन	11
22–आथित्य व्यय विषयक भत्ता आदि	8
25–लघु निर्माण कार्य	225
26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयत्र	113
29–अनुरक्षण	38
42–अन्य व्यय	76
45–अवकाश यात्रा व्यय	75
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	75
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	188
योग–	**2252**
	(₹ बाईस लाख बावन हजार मात्र)

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से सरकार / शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक: 31 मार्च, 2011 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31 मार्च 2012 तक कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102–लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर,–00– 03–अधिष्ठान व्यय अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या:653/XXVII(2)/2011 दिनांक:21 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:2660(1)/VII-II-11/69–उद्योग/2006 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।